

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ. सं०- 08/ज.स.(नि.) कोर्ट केश-10/2012:-

/रांची, दिनांक -

आदेश

श्री बानेश्वर रविदास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, हजारीबाग के पद पर पदस्थापन अवधि में बरती गयी लापरवाही एवं सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचाने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या- 302 दिनांक 24.01.09 एवं संशोधित संकल्प संख्या- 1875 दिनांक 23.05.09 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई।

3. सम्यक समीक्षोपरांत सरकार ने श्री बानेश्वर रविदास को उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है:-

(i) पेंशन राशि से 5 % राशि की कटौती।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

हस्ता-
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।


ज्ञापक-

1450

रांची,

दिनांक - 20.03.15

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/ सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रांची/ संयुक्त सचिव (प्रबन्धन) जल संसाधन विभाग, रांची/ जेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, रांची/ श्री बानेश्वर रविदास सेवा निवृत्त मुख्य अभियंता, वर्तमान पता- फ्लैट सं. 202 बी. मंगलम अपार्टमेंट, मधुकम, रातू रोड, थाना- सुखदेव नगर (रातू रोड) रांची, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20.3.15
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।
20.3.15